वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016–माघ 2, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में पप्पू दाँगी था, जिसे मैंने बदलकर भूपेंद्र दाँगी कर लिया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(पप्पू दाँगी)

नया नाम :

(भूपेंद्र दाँगी)

पता–252/3, नेहरु नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(549–बी.)

CHANGE OF NAME

I, Aleyamma Mathew here by declare that I have change my name as Aleyamma Mathai. So from now and in future I will be known by my new name Aleyamma Mathew.

Old Name :

(ALEYAMMA MATHAI)

New Name :

(ALEYAMMA MATHEW)
Address:— Jr. MIG-35,
Old Subhash Nagar, Bhopal.

(550–B.)

नाम परिवर्तन

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम छोटेलाल मिश्रा सुपुत्र श्री शंकर्षण प्रसाद मिश्रा था. जिसे बदलकर अजय मिश्रा सुपुत्र श्री शंकर्षण प्रसाद मिश्रा हो गया है. अत: अब मुझे अजय मिश्रा के ही नाम से जाना–पहचाना जावे एवं छोटेलाल मिश्रा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों जगह, जमीन, जायदाद, रजिस्ट्री–पत्र एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में जहां कहीं भी उल्लेखित है उसके स्थान पर अजय मिश्रा ही मान्य किया जाये व लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(छोटेलाल मिश्रा)

नया नाम :

(अजय मिश्रा)

नेहरु नगर, रीवा (म.प्र.).

(551–बी.)

CHANGE OF NAME

I, Harish Sitlani S/o Shri Radhomal Sitlani, R/o 2/1, Shiwani Complex 6 No. stop, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.) declare that my previous name was Haresh Kumar Sitlani at present I known us my name is Harish Sitlani.

Old Name :

(HARESH KUMAR SITLANI)

New Name :

(HARISH SITLANI)
S/o Radhomal sitlani.

(552-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम कु. अर्चना देशमुख पुत्री एस. बी. देशमुख था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती शुभदा जांभोरकर पत्नी शिशिर जांभोरकर, निवासी-ई-3/239, अरेरा कॉलोनी, भोपाल हो गया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(कु. अर्चना देशमुख)
पुत्री श्री एस. बी. देशमुख.

नया नाम :

(शुभदा जांभोरकर)
पत्नी श्री शिशिर जांभोरकर.

(553-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती आराध्या तिवारी पत्नि श्री शिवदत्त तिवारी पुत्री श्री राकेश मिश्रा, उम्र 23 वर्ष, निवासी-1620, मड़फैइया, डॉ. कॉलोनी के पीछे, सुभाष नगर, पुरवागढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) की निवासी हूँ. यह कि, विवाह के पूर्व मेरा नाम समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में कुमारी रेखा मिश्रा पुत्री श्री राकेश मिश्रा दर्ज है, उसे परिवर्तित कर अब मेरा नाम श्रीमती आराध्या तिवारी पत्नि श्री शिवदत्त तिवारी लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(कुमारी रेखा मिश्रा)

नया नाम :

(आराध्या तिवारी)

(554-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक अंकसूचि प्रमाण-पत्र में मेरा नाम मनोज कुमार नागर पिता मांगीलाल नागर अंकित है. किन्तु मैं अपना नाम मनोज नागर व्यवहार व उपयोग में लाता हूँ आज से मुझे मनोज नागर पिता मांगीलाल नागर से जाना जाये.

पुराना नाम :

(मनोज कुमार नागर)

नया नाम :

(मनोज नागर)
पिता मांगीलाल नागर,
बी-16/13, बसंत विहार, उज्जैन (म.प्र.).

(555-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पहले किशनलाल बिडिहारे पिता खुशालदास बिडिहारे था. अब मेरा नाम (किशन बिडिहारे पिता खुशालदास बिडिहारे) हो गया है.

अब मुझे पुराने नाम किशनलाल बिडिहारे पिता खुशालदास बिडिहारे के स्थान पर (किशन बिडिहारे पिता खुशालदास बिडिहारे) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(किशनलाल बिडिहारे)

नया नाम :

(किशन बिडिहारे)
खुशालदास बिडिहारे,
ए/156, इंदिरा कॉलोनी,
तह. व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(556-बी.)

नाम परिवर्तन

आमजनों को सूचित किया जाता है कि मैं केतन राज आत्मज श्री सुरेश, उम्र लग. 27 वर्ष, निवासी गायत्री नगर, कटनी, तहसील व जिला कटनी म.प्र. का निवासी हूँ तथा मेरा उप-नाम सक्तेल व मेरा नाम केतन राज सक्तेल आत्मज श्री सुरेश सक्तेल है जो कि मेरा शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से अंकित है किन्तु अब मुझे अपना उप-नाम सक्सेना व नाम केतन राज सक्सेना से अपने समस्त पहचान पत्र, शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में अंकित कर इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(केतन राज सक्तेल)

नया नाम :

(केतन राज सक्सेना)

पता-गायत्री नगर, कटनी.

(557-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं खुकू देवनाथ उर्फ लक्ष्मीदेवनाथ पति श्री गोपी देवनाथ बंगाली, आयु 48 साल, ग्राम दमचुआ थाना बृजपुर, तहसील व जिला पन्ना मध्यप्रदेश की निवासी हूँ मेरा नाम खुकू देवनाथ पत्नी गोपी देवनाथ अभी तक सरकारी अभिलेख में दर्ज है जिसे मैं बदलवाकर अपना नाम सभी शासकीय अभिलेखों में लक्ष्मीदेवनाथ पत्नी गोपीदेवनाथ दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः अब मुझे परिवर्तित नाम श्रीमती लक्ष्मीदेवनाथ पत्नी श्री गोपी देवनाथ के नाम से जाना जावे एवं समस्त अभिलेखों में संबोधन एवं अन्य कार्यों में मेरे परिवर्तित नाम श्रीमती लक्ष्मी देवनाथ पत्नी श्री गोपी देवनाथ के नाम से जाना जावे एवं परिवर्तित नाम का उल्लेख किया जावे.

पुराना नाम :

(खुकू देवनाथ)

नया नाम :

(लक्ष्मीदेवनाथ)

(558-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं त्रिलोक चंद्र शर्मा (Trilok Chandra Sharma) शपथ करता हूँ कि मेरी हायर सेकेण्ड्री कि मार्कशीट में मेरा नाम त्रिलोक चंद (Trilok Chand) अंकित है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम त्रिलोक चंद्र शर्मा (Trilok Chandra Sharma) अंकित है और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ.

समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :

(त्रिलोक चंद)

(TRILOK CHAND)

नया नाम :

(त्रिलोक चन्द्र शर्मा)

(TRILOK CHANDRA SHARMA)

पता-बेहरा पंडित संतर मुरार,
ग्वालियर.

(559-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूनिट संबद्ध बीमा योजना, 1971 के अंतर्गत दिनांक 05 जनवरी, 2000 को क्रय की गई म्युचवल फंड पॉलिसी में भूल व त्रुटिवश श्रीमती किरण पति श्री जे. एल. श्रीवास लिखा गया है. जिसे बदलकर श्रीमती कृष्णा पति श्री जे. एल. श्रीवास किये जाने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है. अतः उपरोक्त पॉलिसी में मेरा नाम श्रीमती कृष्णा पति श्री जे. एल. श्रीवास पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(किरण)

पति श्री जे. एल. श्रीवास.

नया नाम :

(कृष्णा)

पति श्री जे. एल. श्रीवास,
जी-1, एन. वी. डी. ए. कॉलोनी बड़वाह मार्ग,
मंडलेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.).

(560-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र सागर के शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों (हाईस्कूल, इन्टर, उच्च शिक्षा की अंकसूचियों एवं पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड) में पिता का नाम लाजपतराय आनंदानी अंकित है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र सागर के शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लाजपतराय अंदानी पढ़ा, लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम :

(लाजपतराय आनंदानी)

नया नाम :

(लाजपत राय अंदानी)

निवासी-बाकडे की गोठ,
लाल का बाजार, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

(561-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र सागर के शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों (हाईस्कूल, इन्टर, उच्च शिक्षा की अंकसूचियों एवं पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड) में माँ का नाम अंजना आनंदानी अंकित है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र सागर के शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में माँ का नाम श्रीमती अंजना अंदानी पढ़ा, लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम :

(अंजना आनंदानी)

नया नाम :

(अंजना अंदानी)

निवासी-बाकडे की गोठ,
लाला का बाजार, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

(562-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Smt. Phoolmati W/o Shri Ratan Lal Kumhar is a resident of 4723/68-C, Jawahar Nagar, Adharthal, Jabalpur (M.P.).

I have changed my name from Smt. Phoolbai to Smt. Phoolmati. wherever my name is written or read, it should written or read as Smt. Phoolmati.

Old Name :

(PHOOL BAI)

New Name :

(PHOOLMATI)

(575-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शिव महिमा कन्स्ट्रक्शन एण्ड बोरवेल बजरंग नगर, रीवा से दिनांक 30-12-2015 से निम्न पार्टनरों को पृथक किया जाता है कि 1. श्री रामलाल पाण्डे, 2. श्री के. पेरूमल उक्त दिनांक से फर्म में दो नये पार्टनर 1. श्री अभिमन्यु सिंह परिहार एवं 2. श्रीमती अलका मिश्रा को शामिल किया गया है. उक्त दिनांक पश्चात् फर्म से पृथक किये गये पार्टनरों को फर्म से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं रहेगा. शेष पार्टनर फर्म में यथावत बने रहेंगे.

Shivamahima Construction & Borewell,

(श्रीकान्त मिश्रा),

Partner.

(563-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सांई डवलपर्स लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने, टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. भागीदारी फर्म के भागीदार श्रीमती अनीता गोयल धर्मपत्नी श्री राधेश्याम गोयल, श्री महेन्द्र कृपलानी पुत्र स्व. श्री केवलराम कृपलानी एवं श्री महेश रोहिरा पुत्र स्व. श्री कृपालदास रोहिरा दिनांक 08-10-2013 से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये हैं एवं उसी दिनांक 08-10-2013 से श्री नरेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द अग्रवाल एवं श्रीमती दीप्ति गर्ग धर्मपत्नी श्री वरूण गर्ग फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं. तद्नुसार सूचित हो.

मैसर्स सांई डवलपर्स,

द्वारा—**वाणी पमनानी,**
(भागीदार)
लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने,
टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(564-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रघु डेवलपर्स जिसका साझेदारी पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00255/10, दिनांक 13-09-2010 से विदिशा में पंजीकृत है. मेसर्स रघु डेवलपर्स के दो भागीदारों श्री कैलाश रघुवंशी पुत्र स्व. श्री नत्थू सिंह रघुवंशी एवं श्री दिलीप सिंह रघुवंशी पुत्र स्व. श्री नत्थू सिंह रघुवंशी में से श्री दिलीप सिंह रघुवंशी पुत्र स्व. श्री नत्थू सिंह रघुवंशी दिनांक 08-01-2016 से भागीदारी व्यवसाय से अलग हो रहे है और उनके स्थान पर नए साझेदार श्री मनीश रघुवंशी पुत्र श्री महेश रघुवंशी भागीदारी व्यवसाय में शामिल हो रहे है.

शैलेश कुमार साहू,
(कर सलाहकर)
फ्लॉट नं. 21, नियर होटल आदित्य,
पैलेश, जोन-01, एम. पी. नगर भोपाल (म.प्र.).

(565-बी.)

आम सूचना

आम-जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म स्वरूप ऑटोमोबाइल्स, रानीताल, जबलपुर (म.प्र.) के भागीदार श्री अंकित स्वरूप आत्मज श्री दीपक स्वरूप गुप्ता दिनांक 16-12-2015 से फर्म में भागीदार बनाये गए हैं एवं श्री हिरदे स्वरूप गुप्ता आत्मज स्व. श्री शांति स्वरूप गुप्ता फर्म से दिनांक 16-12-2015 से निवृत्त (मुक्त) हुए.

मेसर्स स्वरूप ऑटोमोबाइल्स,
दीपक स्वरूप गुप्ता,
(भागीदार).

(566-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इजी इन्फोटेक फर्म जिसका पता-यू. जी.-55, बंशी ट्रेड सेन्टर, 581/5, एम. जी. रोड, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0368/15, दिनांक 19-02-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार-1 श्री श्याम खुरना पिता स्व. श्री देवमल खुरना, 2. श्रीमती इन्द्रा यादव पति श्री श्रीराम यादव, 3. मेसर्स मनीष अग्रवाल एच. यू. एफ., 4. श्रीराम यादव पिता स्व. श्री बाबूलालजी यादव, 5. श्री मुकेश कालरा पिता श्री किशन चंदजी कालरा, 6. श्रीमती संध्या कालरा पति श्री मुकेश कालरा, 7. श्री रवि खुरना पिता श्री श्याम खुरना थे. तत्पश्चात् दिनांक 28-02-2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री जितेन्द्रसिंह चौहान पिता श्री राम रख्खु सिंह चौहान, 2. श्री रूपसिंह पिता श्री नंदाराम, 3. श्री विश्वनाथ पटेल पिता श्री रूपसिंह पटेल, 4. श्री राजेश नशा पिता श्री हस्सानंद नशा भागीदारी फर्म मेसर्स इजी इन्फोटेक में सम्मिलित हुए हैं एवं 1. श्री श्रीराम यादव पिता स्व. श्री बाबूलालजी यादव, 2. श्रीमती इन्द्रा यादव पति श्री श्रीराम यादव, 3. श्री मुकेश कालरा पिता श्री किशन चंदजी कालरा, 4. मेसर्स मनीष अग्रवाल एच. यू. एफ., 5. श्रीमती संध्या कालरा पति श्री मुकेश कालरा भागीदारी फर्म मेसर्स इजी इन्फोटेक से पृथक् हो गये हैं. इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स इजी इन्फोटेक से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है.

यह विदित हो.

तर्फे
मेसर्स इजी इन्फोटेक,
1. श्री श्याम खुरना,
2. श्री रवि खुरना,
3. श्री जितेन्द्र सिंह चौहान,
4. श्री रूपसिंह पटेल,
5. श्री विश्वनाथ पटेल,
6. श्री राजेश नशा
(भागीदार).

(567-बी.)

फर्म नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म मै. नूर एसोसियेट्स बिछिया, रीवा (म.प्र.) का नाम परिवर्तित कर दिनांक 15-12-2015 से मै. नूर एसोसियेट्स सिक्योरिटी कर दिया गया है.

M/s Noor Associates Security ,
(मो. इस्लाम खान),
Partner.

(568-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भूमिजा कान्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारिकानगर, रीवा से दिनांक 15-09-2015 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है कि 1. श्री पवन बाजपेयी, 2. श्री अनिल कुमार मिश्रा उक्त दिनांक से ही फर्म में दो नये पार्टनर 1. श्री महेन्द्र कुमार वेन, एवं 2. श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी को शामिल किया गया है. उक्त दिनांक पश्चात् फर्म से पृथक् किये गये पार्टनरों को फर्म से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं रहेगा. शेष पार्टनर फर्म में यथावत बने रहेंगे.

M/s Bhumija Construction Co.,

प्रफुल्ल चतुर्वेदी,
(Partner).

(569-बी.)

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that M/s Shiva Engineering & Construction Company (Reg. No. 04/14/01/00035/12 of 2012-13 dtd. 9-5-2012) having its office at 2348, Chandrashekhar Azad Ward, Narsingh Nagar, Ranjhi, Jabalpur is a partnership firm consisting of two partners viz Shri Ved Prakash Mishra and Shri Harikrishn Pratap Mishra. Shri Suresh Kumar Parwani S/o Shri Kundan Das Parwani has been admitted as partner in this partnership firm wef 1-6-2015. Now Shri Ved Prakash Mishra, Shri Harikrishn Pratap Mishra and Shri Suresh Kumar Parwani are the partners in this firm.

ANAND GUPTA,
(Advocate),
Counsel for the firm
2, Geetika Apartment,
Wright Town, Jabalpur.

(570-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एथिका बिल्ड्कान फर्म जिसका पता-यू. जी.-55, बंशी ट्रेड सेन्टर, 581/5, एम. जी. रोड, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0359/15, दिनांक 16-02-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री मनिष अग्रवाल पिता स्व. श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, 2. श्रीमती त्रिप्ति अग्रवाल पति श्री मनिष अग्रवाल, 3. मेसर्स मनीष अग्रवाल एच. यू. एफ. थे. तत्पश्चात् दिनांक 11-05-2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री भुपेंद्र बाफना पिता श्री महेंद्र बाफना, 2. श्रीमती राखी बाफना पति श्री भुपेंद्र बाफना, 3. मेसर्स भूपेंद्र बाफना एच. यू. एफ. 4. श्री रवि खुराना पिता श्री श्याम खुराना, 5. श्री सुभाष सुराना पिता श्री हेमराजजी सुराना, 6. श्रीमती मंजु नाहटा पति श्री कमल नाहटा भागीदारी फर्म मेसर्स एथिका बिल्ड्कॉन में सम्मिलित हुए हैं.

यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स एथिका बिल्ड्कान,

1. श्री मनिष अग्रवाल,
2. श्रीमती त्रिप्ति अग्रवाल,
3. मेसर्स मनीष अग्रवाल एच. यू. एफ.
4. श्री भुपेंद्र बाफना,
5. श्रीमती राखी बाफना,
6. मेसर्स भुपेंद्र बाफना एच. यू. एफ.,
7. श्री रवि खुराना,
8. श्री सुभाष सुराना,
9. श्रीमती मंजु नाहटा,
(भागीदार).

(571-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को आज दिनांक को सूचित किया जाता है, कि फर्म मेसर्स पी. बी. एम. ग्रुप पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00084/06, सत्र 2006-07 में दिनांक 06-11-2007 को पंजीबद्ध की गई थी. जिसमें निम्न भागीदार थे. क्रमशः 1. शरद बेगाड़, 2. दिलीप बेगाड़ दोनों के पिता श्री ए. एल. बेगाड़, 3. अमित बेराड़ पिता श्री जे. एल. बेगाड़, 4. अंजनी कुमार पांडे पिता श्री आर. एम. पांडे, 5. शैलेन्द्र महाजन पिता श्री बी. के. महाजन थे. यह कि दिनांक 18-03-2008 को श्री अंजनी कुमार पाण्डेय का स्वर्गवास हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमती शशि पाण्डेय को दिनांक 11-02-2009

से उक्त फर्म में स्व. श्री अंजनी कुमार पांडेय के स्थान पर सम्मिलित किया गया है. इस तरह उक्त फर्म में 5 भागीदार हाल मुकाम स्थिति में है क्रमशः 1. शरद बेगाड़, 2. दिलीप बेगाड़ दोनों के पिता श्री ए. एल. बेगाड़, 3. अमित बेराड़ पिता श्री जे. एल. बेगाड़, 4. शैलेन्द्र महाजन पिता श्री बी. के. महाजन, 5. श्रीमती शशि पांडे पत्नि स्व. श्री अंजनी कुमार पांडेय.

अतः उपरोक्त में यदि किसी व्यक्ति विशेष ऋण संस्था, वित्तीय संस्था शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के भीतर कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है एवं समयावधि समाप्त होने पर कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.

शिशि नेमा,
(एडवोकेट)
43, आर्शीवाद मार्केट, गंजीपुरा, जबलपुर.

(572-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म मे. मोहनलाल हरप्रसाद अग्रवाल, सिहोरा, पंजी. क्र. 137/35-36, दिनांक 16/03/1936 को पंजीकृत है. जिसमें निम्न भागीदार हैं. जिनका निधन क्रमशः 1. रामलाल 06/01/72, 2. श्यामसुंदर 17/01/91, 3. किशोरीलाल 06/07/89, 4. गोविंदप्रसाद 02/08/84, 5. गुलाबचंद 27/12/83, 6. उधव 01/09/98, 7. विश्वनाथ 13/10/98, 8. नारायणदास 02/06/96, 9. माधवदास 06/08/95, 10. गोपालदास 18/03/97 को निधन हो चुका है. सन् 1998 के बाद शेष बचे दो भागीदारों में से एक भागीदार 11. वस्देवप्रसाद का निधन 11/01/08 को हो जाने के कारण उक्त फर्म में दिनांक 11/01/2008 को नए भागीदार 1. प्रवीण अग्रवाल, 2. नवीन अग्रवाल, 3. नितिन अग्रवाल वा 4. पंकज अग्रवाल को सम्मिलित किया गया है. यदि किसी भी भागीदार, संस्था अथवा विभाग को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर फर्म के कार्यालय में अपने प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें. आपत्ति प्राप्त न होने पर फर्म के विधानों के तहत् भागीदारो का समायोजन किया जायेगा. सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

मेसर्स मोहनलालहरप्रसाद अग्रवाल,
श्रीकृष्णदास,
(भागीदार).
सिहोरा, जबलपुर.

(573-बी.)

सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 की धारा-72 के अधीन

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि फर्म मेसर्स SA 7 Retail and Hospitality दिनांक 12-3-2012 को बनायी गई एवं वर्ष 2013 में पंजीकृत साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेशन नं.01/01/01/00027/2013, से कार्य कर रही है. यह कि फर्म में संशोधन किया जा रहा है. संशोधन विलेख द्वारा भागीदार राजीव सिंह आत्मज श्री कमलेन्द्र सिंह का देहान्त हो गया है एवं भागीदार श्री अभिमन्यू सिंह, आत्मज श्री अर्जुन सिंह एवं भागीदार श्रीमती साहिबा बाबा सिंह पत्नि श्री अभिमन्यू सिंह दिनांक 01-11-2015 से इच्छानुसार पृथक् हो गये हैं एवं फर्म में इनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में श्री प्रतीक कुमार श्रीवास्तव, आत्मज श्री आर. के. श्रीवास्तव सम्मिलित हो रहे हैं एवं फर्म में श्रीमती रेखा सिंह पूर्व से ही भागीदार एवं वर्तमान में भी भागीदार है. इस प्रकार से वर्तमान में भागीदार श्रीमती रेखा सिंह एवं श्री प्रतीक कुमार श्रीवास्तव हैं. पृथक् हो रहे भागीदार का फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा. किसी व्यक्ति भागीदार को कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति दिनांक से 7 दिवस के अन्दर निम्न पते पर सम्पर्क करें.

दीपेश जोशी,
(एडव्होकेट)
ई-7/635, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(574-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, सिवनी मालवा

प्र. क्र. -बी/113(1)वर्ष 2015-16.

ग्राम-बराखड खुर्द, तहसील सिवनी मालवा.

वजरिये इश्तहार मुनादी के सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री श्यामबाबू पिता भगवतप्रसाद तिवारी, निवासी बराखड खुर्द,

तहसील सिवनी मालवा ने ग्राम बराखड खुर्द के पंजीयन न्यास क्रमांक 232/55 में श्री रामजानकी मंदिर की राधाकृष्ण तालाब ट्रस्ट बराखड खुर्द न्यास के रूप में सर्वराहकार के द्वारा अपने स्थान पर उनके पुत्र श्री अभय कुमार पिता श्री श्यामबाबू तिवारी का नाम न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: आवेदक के उक्त आवेदन-पत्र के पंजीयन हेतु जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं/अभिभाषक/अभिकर्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 11 जनवरी, 2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रात: 10.30 बजे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(39)

प्र. क्र. -बी/113(1) वर्ष 2015-16.

ग्राम-चंदाखड, तहसील सिवनी-मालवा.

वजरिये इश्तहार मुनादी के सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हरिओम व्यास पिता श्री नन्हेलाल व्यास, निवासी चंदाखड, तहसील सिवनी-मालवा ने ग्राम चंदाखड के द्वारा ग्राम चंदाखड प.ह.नं.85 की भूमि खसरा नम्बर 14/1रकवा 1.214 हेक्टर पर ठाकुर जी मंदिर सरवराहरकार बृजकिशोर/बाबूलाल एवं नन्हेलाल पिता चंदूलाल ब्राहण प्रबंधक जिलाध्यक्ष होशंगाबाद के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके नाम की जगह आवेदक का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: आवेदक के उक्त आवेदन-पत्र के पंजीयन हेतु जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं/अभिभाषक/अभिकर्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 18 जनवरी, 2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रात: 10.30 बजे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(39-A)

प्र. क्र. -बी/113(1) वर्ष 2015-16.

ग्राम-पिपलिया कलां, तहसील सिवनी-मालवा.

वजरिये इश्तहार मुनादी के सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अनिल कुमार रधुवंशी पिता श्री हरिशंकर रधुवंशी, निवासी ग्राम पिपलिया कलां, तहसील सिवनी-मालवा ने ग्राम पिपलिया कलां के द्वारा ग्राम पिपलिया कलां प. ह. नं. 42 की भूमि खसरा नम्बर 351, रकवा 4.172 हेक्टर पर श्रीराम जानकी मंदिर सरवराहरकार हरिशंकर पिता मूलचंद रधुवंशी (प्रबंधक जिलाध्यक्ष होशंगाबाद) के स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके नाम की जगह आवेदक का नाम सरवराकार के रूप में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: आवेदक के उक्त आवेदन-पत्र के पंजीयन हेतु जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं/अभिभाषक/अभिकर्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25 जनवरी, 2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रात: 10.30 बजे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

धीरेन्द्र सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी.

(39-B)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (लश्कर), जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 04 जनवरी, 2016

प्र. क्र. 02/2015-16/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री वासुदेव शर्मा पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, निवासी ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर एवं श्री सुरेश चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री एस. पी. चतुर्वेदी, निवासी शिन्दे की छावनी चौराहा, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने "श्री भृगु भार्गव समाज न्यास मध्यप्रदेश ग्वालियर"

स्थित भृगु भवन जिंसी नाला नं. 02, लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 16 फरवरी, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक 16 फरवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1)के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम व पता	..	''श्री भृगु भार्गव समाज न्यास मध्यप्रदेश ग्वालियर'' भृगु भवन जिंसी नाला नं. 02, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति	..	73,563/- रुपये
3. अचल सम्पत्ति	..	भृगु भवन जिंसी नाला नं. 02, लश्कर, ग्वालियर. जिसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 103.18 वर्गमीटर.

महीप तेजस्वी,
पंजीयक.

(40)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बण्डा, जिला सागर

रा.प्र. क्र.-359 बी/121वर्ष 2010-11.

मौजा-चारौदा,प.ह.नं.-113, तह. बण्डा.

क्र.क/ /रीडर-1/2015.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण एवं ग्रामवासी ग्राम चारोधा, तहसील बण्डा, जिला सागर मध्यप्रदेश को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में आवेदक श्री ग्याप्रसाद पिता बैजनाथ प्रसाद, जाति बैरागी, निवासी ग्राम-चारोधा, तह. बण्डा, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत मौजा चारोधा पटवारी हल्का नंबर-57/113, स्थित श्री देव जानकी रमण मंदिर मौजा चारोधा का स्थाई मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने बावत् आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचाराधीन है. ग्राम चारौधा में श्री देव जानकी रमण मंदिर के नाम 03 मेड़े रकवा 1.70 हे. भूमि एवं श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मुह. मंगलदास पिता मोहनलाल, प्रबंधक, कलेक्टर सागर के नाम 11 मेड़े 1.56 हे. भूमि है.

आवेदक श्री ग्याप्रसाद पिता बैजनाथ प्रसाद, जाति बैरागी, निवासी ग्राम-चारोधा, तह. बण्डा, जिला सागर को उक्त मंदिर का स्थाई मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति, न्यास अथवा संस्था को जो भी आपत्ति हो वह प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 19 जनवरी, 2016 तक स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से इस न्यायालय में प्रात: 10.30 बजे उपस्थित प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजर जाने के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

उद्घोषणा आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी.

(41)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक ...../12/2015.

प्र. क्र. बी/113(1)वर्ष 2015-16.

मौजा-परासिया, प.ह.न. 53, तह. बण्डा

क्र.क/ /रीडर-1/2015.

अनुरूद्धसिंह पिता बैजनाथसिंह
निवासी सहावन, तह. बण्डा, जिला सागर. .....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक अनुरूद्धसिंह पिता बैजनाथसिंह, साकिन सहावन, तहसील बण्डा,

जिला सागर मध्यप्रदेश के द्वारा मौजा ग्राम परासिया प. ह. नं. 53 तहसील बण्डा में स्थित मंदिर श्रीदेव जानकीरमणजी मुह. रगनाथदास चुला प्रयागदास प्रबंधक कलेक्टर सागर साकिन देह के नाम ख. नं.-162, 248, 249 कुल-03 मेडे रकवा क्रमशः 1.58, 0.61, 0.30 हे. कुल रकवा-2.49 हे. जो मंदिर श्रीदेव जानकीरमणजी मुह. रगनाथदास चेला प्रयागदास प्रबंधक, कलेक्टर सागर सा. देह भूमि स्वामी दर्ज है. आवेदक द्वारा मुहत्तमकार स्व. रगनाथदास चेला प्रयागदास ने अपने जीवनकाल में दिनांक 06 जुलाई, 1996 को मंदिर की व्यवस्था हेतु समिति का गठन कराया था. किन्तु मौजा परासिया में स्थित भूमि ख. नं. 162, 248, 249 कुल-03 मेडे रकवा क्रमशः 1.58, 0.61, 0.30 हे. कुल रकवा-2.49 हे. जो मंदिर श्रीदेव जानकीरमणजी मुह. रगनाथदास चेला प्रयागदास प्रबंधक कलेक्टर सागर सा. देह छूट गई है. आवेदक द्वारा मौजा-परासिया में स्थित ख. नं.-162, 248, 249 कुल-03 मेडे रकवा क्रमशः-1.58, 0.61, 0.30 हे. कुल रकवा-2.49 हे. पर नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन-पत्र सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया.

मौजा-परासिया में स्थित ख. नं.-162, 248, 249 कुल-03 मेडे रकवा क्रमशः 1.58, 0.61, 0.30 हे. कुल रकवा-2.49 हे. वर्तमान मुह. रगनाथ चेला प्रयागदास के फोत होने से एवं व्यवस्था के आधार पर उनके स्थान पर पूर्व में गठित समिति अनुसार सदस्यों के नाम अनुरूद्धसिंह पिता बैजनाथसिंह, शंभूसिंह पिता नारायणसिंह, शिवराजसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह, उत्तमसिंह पिता अमृतसिंह, राजकुमार पिता साहबसिंह सा. सहावन प्रबंधक, कलेक्टर सागर नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन-पत्र सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया.

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई अपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 19 जनवरी, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 16 दिसम्बर, 2015.

पेशी दिनांक 19 जनवरी, 2016.

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(41-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), दमोह

प्र. क्र.02/बी-113(1) 2014-15. दमोह, दिनांक 19 अगस्त, 2015

प्रारूप-4

[देखें नियम-6 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियमानुसार (1)के द्वारा]

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास, जिला दमोह, क्रमांक क/सं.न्यास/2015.

यहकि श्री देव राधाकृष्ण उमेश जी स्मृति न्यास, पुराना बाजार नं. 1, दमोह, तहसील व जिला दमोह द्वारा श्रीमति विद्या कटारे पति स्व. जी. पी. कटारे, उम्र 67 वर्ष अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन-पत्र अनुसूची में विर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता . . श्री देव राधाकृष्ण उमेश जी स्मृति न्यास, पुराना बाजार नं.-1 दमोह, तहसील व जिला दमोह नगर की नजूल शीट नं. 32, प्लॉट नं. 3770, कुल रकवा 0.70 डिसमिल याने 3045 वर्गफुट भूमि में से 1824 वर्गफुट जगह में मकान व मंदिर स्थित है.

राकेश कुशरे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(42)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अम्बाह

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-5(1) के तहत् आवेदक न्यास पत्र मंदिर श्री वंशीवाला (मंदिर श्री दुर्गा माता, हनुमानजी, शिवजी) स्थित बैंक वाली रोड, सब्जी मण्डी रोड, वार्ड नम्बर-06, पोरसा की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र भदौरिया के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन पेश किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 07 जनवरी, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हक रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव रखता हो उसे इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है.

अत: मैं, दिनेश चन्द्र सिंघी अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, अम्बाह, जिला मुरैना अपने न्यायालय में दिनांक 19 जनवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है उक्त न्यासधारी या इससे हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उक्त दिनांक को या तो स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होना चाहिए.

उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	. .	मंदिर श्री वंशीवाला (मंदिर श्री दुर्गा माता, हनुमानजी, शिवजी) स्थित बैंक वाली रोड, सब्जी मण्डी रोड, वार्ड नम्बर-06, पोरसा.
लोक न्यास की चल-अचल :-		नगर पोरसा स्थित वार्ड नम्बर-06, बैंक रोड, पोरसा (सब्जी मंडी के पास), तहसील पोरसा, जिला मुरैना में प्राचीन मंदिर श्री दुर्गाजी, हनुमान जी एवं शिव जी की तथा मंदिर की भूमि सर्वे नम्बर-1438, रकवा-3 बीघा 15 विस्वा तथा सर्वे नम्बर-1438/2, मिन-12 रकवा 1200 वर्गफुट. सम्पत्ति का विवरण.

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

दिनेश चन्द्र सिंघी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(43)

कार्यालय पंजीयन, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. 06 /बी-113/2015-16. उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक वरिष्ठ अध्यक्ष श्री जगत गुरू रामनन्दाचर्या स्वामी श्री रामनरेशाचार्य जी महाराज द्वारा भगवान श्रीराम स्मारक सेवा न्यास ''श्रीधाम'', पता-नीलगंगा सरोवर, 10 नीलगंगा चौरहा, उज्जैन आदि ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जनवरी, 2016 को प्रात: 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 22 जनवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	. .	भगवान श्रीराम स्मारक सेवा न्यास ''श्रीधाम''.
कार्यालय	. .	नीलगंगा सरोवर, 10 नीलगंगा चौराहा, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	. .	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से निरंक है.
चल सम्पत्ति	. .	दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से निरंक है.

शितिज शर्मा,
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(44)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/606,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा, पंजी. क्रमांक 2042, दिनांक 27 जुलाई, 2012 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा, पंजी. क्रमांक 2042, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/617,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., इटवारैयत, पंजी. क्रमांक 2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., इटवारैयत, पंजी. क्रमांक 2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/780,दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा न्यू क्रेडिट को-आपरेटिव लिमिटेड, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2295, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा न्यू क्रेडिट को-आपरेटिव लिमिटेड, खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2295, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/615,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, पंजी. क्रमांक 2054, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, पंजी. क्रमांक 2054, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/605,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा राधाकृष्ण फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., भिलाईखेड़ा, पंजी. क्रमांक 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2012 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा राधाकृष्ण फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., भिलाईखेड़ा, पंजी. क्रमांक 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/605,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगांबुजुर्ग, पंजी. क्रमांक 1849, दिनांक 19 मार्च, 2002 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगांबुजुर्ग, पंजी. क्रमांक 1849, दिनांक 19 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/463,दिनांक 02 जून, 2015 के द्वारा बड्डर समाज कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1431, दिनांक 12 जनवरी, 1990 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा बड्डर समाज कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1431, दिनांक 12 जनवरी, 1990 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/618, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा शिवशक्ति फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कुमठा, पंजी. क्रमांक 2044, दिनांक 28 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शिवशक्ति फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कुमठा, पंजी. क्रमांक 2044, दिनांक 28 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/610,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा माँ वैष्णव फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेडा, पंजी. क्रमांक 2040, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा माँ वैष्णव फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेडा, पंजी. क्रमांक 2040, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/807,दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा महर्षि रोजगार निर्माण कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2320, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एस. एस. मंडलोई, वरि. सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा महर्षि रोजगार निर्माण कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2320, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एस. एस. मंडलोई, वरि. सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/624,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जय भेरूबाबा आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बेडानी, पंजी. क्रमांक 2161, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-43 (1) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जय भेरूबाबा आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बेडानी, पंजी. क्रमांक 2161, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/418,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा पंजी. क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा पंजी. क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/457,दिनांक 02 जून, 2015 के द्वारा निमाड़ म. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1588, दिनांक 21 जुलाई, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. दुबे, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निमाड़ म. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1588, दिनांक 21 जुलाई, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री ओ. पी. दुबे, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/607,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा संत श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सराय, पंजी. क्रमांक 2043, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संत श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सराय, पंजी. क्रमांक 2043, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/383,दिनांक 27 मई, 2015 के द्वारा गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुर, पंजी. क्रमांक 1930, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क)(ख) के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुर, पंजी. क्रमांक 1930, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/845,दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बलरामपुर, पंजी. क्रमांक 1933, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क)(ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बलरामपुर, पंजी. क्रमांक 1933, दिनांक 28 जनवरी, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/774, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा खण्डवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2261, दिनांक 25 जुलाई, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा खण्डवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2261, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/395,दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 43, दिनांक 21 जनवरी, 1974 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 43, दिनांक 21 जनवरी, 1974 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/609,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा गायत्री फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कोहदड, पंजी. क्रमांक 2039, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गायत्री फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कोहदड, पंजी. क्रमांक 2039, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/432,दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा श्री सत्यसांई क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., खेडी, पंजी. क्रमांक 2037, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री सत्यसांई क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., खेडी, पंजी. क्रमांक 2037, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/415,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा मोठीमाता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., छैगांवमाखन, पंजी. क्रमांक 1681, दिनांक 15 फरवरी, 1999 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मोठीमाता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., छैगांवमाखन, पंजी. क्रमांक 1681, दिनांक 15 फरवरी, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/318,दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा आदर्श परिवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1184, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, (आडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदर्श परिवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1184, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, (आडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/444, दिनांक 01 जून, 2015 के द्वारा जय बजट बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बांगरदा, पंजी. क्रमांक 2106, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, (आडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जय बजट बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बांगरदा, पंजी. क्रमांक 2106, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/818,दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा श्री तिरूपति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2315, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री तिरूपति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2315, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री विवेक पिम्पलीकर, सहायक निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/827, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा गोल्डन व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2308, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्ड़वा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गोल्डन व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 2308, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/821,दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा सिद्धि विनायक मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा पंजी. क्रमांक 2318, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सिद्धि विनायक मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा पंजी. क्रमांक 2318, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत्]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/820,दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा माँ रेवा अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ओंकारेश्वर, पंजी. क्रमांक 2317, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा माँ रेवा अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ओंकारेश्वर, पंजी. क्रमांक 2317, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(45-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/383,दिनांक 27 मई, 2015 के द्वारा लक्ष्मीमाता ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1674, दिनांक 03 अगस्त, 1998 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा लक्ष्मीमाता ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजी. क्रमांक 1674, दिनांक 03 अगस्त, 1998 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/630,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा माँ जगदंबा आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पटाजन, पंजी. क्रमांक 2162, दिनांक 24 जून, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-43 (1) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा माँ जगदंबा आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पटाजन, पंजी. क्रमांक 2162, दिनांक 24 जून, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/631,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्री गंगा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., दगडकोट, पंजीयन क्रमांक 2163, दिनांक 25 जुलाई, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-43 (1) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री गंगा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., दगडकोट, पंजीयन क्रमांक 2163, दिनांक 25 जुलाई, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/628,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा आदर्श आदिवासी विस्था. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिजोरामाफी, पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-45 (1) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदर्श आदिवासी विस्था. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिजोरामाफी, पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/616,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडाखूर्द, पंजी. क्रमांक 2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडाखूर्द, पंजी. क्रमांक 2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/613, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जयश्री राम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा, पंजी. क्रमांक 2052, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जयश्री राम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा, पंजी. क्रमांक 2052, दिनांक 02 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/614,दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जयकाली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार, पंजी. क्रमांक 2053, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जयकाली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार, पंजी. क्रमांक 2053, दिनांक 02 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एम. एम. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/817, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा पत्रोपाधि अभियंता परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा पंजी. क्रमांक 2314, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, (ऑडिट) जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1142, खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को संस्था को निम्न कारणों से क्यों न परिसमापन में लाये जावे इस बावत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं 30 दिवस के अंदर लिखित उत्तर चाहा गया था.

यह मानते हुए कि संस्था निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने से कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पत्रोपाधि अभियंता परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा पंजी. क्रमांक 2314, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री विवेक पिम्पलीकर, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(46-G)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/588, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भेरूखेडा, पंजी. क्रमांक 2251, दिनांक 01 जनवरी, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री ए. के. दुबे, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भेरूखेडा, पंजी. क्रमांक 2251, दिनांक 01 जनवरी, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/754, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाघमला, पंजी. क्रमांक 2264, दिनांक 25 जुलाई, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1) (ख) के अंतर्गत श्री ए. के. दुबे, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत

प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाघमला, पंजी. क्रमांक 2264, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-A)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/766, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोद, पंजी. क्रमांक 2282, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री ए. के. दुबे, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोद, पंजी. क्रमांक 2282, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-B)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/767, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,नहाल्दा,

पंजी. क्रमांक 2286, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री ए. के. दुबे, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,नहाल्दा, पंजी. क्रमांक 2286, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-C)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/760, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,जामलीगुर्जर, पंजी. क्रमांक 2276, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री ए. के. दुबे, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,जामलीगुर्जर, पंजी. क्रमांक 2276, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-D)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/757, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,फेफरीसरकार, पंजी. क्रमांक 2273, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री ए. के. दुबे, विस्तार पर्यवेक्षक, कार्यालय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मर्या., खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,फेफरीसरकार, पंजी. क्रमांक 2273, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(47-E)

खण्डवा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/800, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा निमाड़ जैविक उर्जा उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संगवाडा, पंजी. क्रमांक 2326, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-53 (1)(ख) के अंतर्गत श्री आर. एस. जायसवाल, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.

3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3)के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए निमाड़ जैविक उर्जा उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संगवाडा, पंजी. क्रमांक 2326, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(47-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 01 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री दीपक दुबे, सहकारी निरीक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपाटनी, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है कि संस्था आर्थिक एवं अन्य कारणों से अभी निर्वाचन नहीं करा सकती है.

श्री दुबे के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपाटनी, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./913, दिनांक 27 मार्च, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मई, 2015 को जारी करता हूँ.

(48)

विदिशा, दिनांक 01 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

श्री आर. के. कटारे, सहकारी निरीक्षक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतपाड़ाकलां, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है कि संस्था आर्थिक कारणों से अभी निर्वाचन नहीं करा सकती है.

श्री कटारे के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतपाड़ाकलां, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./855, दिनांक 08 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 मई, 2015 को जारी करता हूँ.

(49)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

रघुवंशी बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., आगासौद, तहसील बासौदा ने अपने पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में उल्लेख किया है. कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से कोई विशेष कार्य नहीं किया है, अब सहकारी अधिनियम में परिवर्तन नहीं चाहती है. कृपया पंजीयन निरस्त कराने का कष्ट करें.

सहकारिता अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है.कि सहकारिता निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त सहकारिता में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत सहकारिता को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1159, विदिशा, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 जारी किया गया कि क्यों न सहकारिता को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रघुवंशी बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., आगासौद, तहसील बासौदा , जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./57, दिनांक 23 जून, 2008 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 मई, 2015 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(49-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्था मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांकलखेड़ा खुर्द	426/31-3-1992	609/21-05-1998
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बमूरिया	378/26-9-1991	303/06-03-2008
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागरौद	284/31-10-1986	983/1-8-1998
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरदूखेड़ी	349/5-2-1990	1881/29-10-2001

1	2	3	4
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांजीकिरोंदा	431/29-4-1992	1881/29-10-2001
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ककरावदा	306/2-5-1987	895/20-04-2004
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बीलाढाना	437/21-5-1992	1881/29-10-2001
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचमा	376/26-9-1992	1881/29-10-2001
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबर	442/27-5-1992	1881/29-10-2001
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहरूआ चौराहा	400/15-10-1991	1881/29-10-2001

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 04 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

योगेन्द्र सोनी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(50)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1113, जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2011 के द्वारा सर्वहारा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक 228 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक गीतांजली सेन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि न होने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वहारा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर पंजीयन क्रमांक 228 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
उप-पंजीयक.

(51)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016–माघ 2, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), भाण्डेर (दतिया), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर (अशोकनगर), गुना, चाचौड़ा (गुना), जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, पेलरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, नौगांव, छतरपुर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), रामपुरबघेलान (सतना), त्योंथर, सिरमोर, मऊगंज, हुजूर, गुढ़ (रीवा), गोपदबनास, रामपुरनैकिन (सीधी), सुबासराटप्पा, मंदसौर, श्योमगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, पिपलौदा (रतलाम), महिदपुर (उज्जैन), गुलाना (शाजापुर), बैरसिया (भोपाल), गैरतगंज, बैगमगंज, उदयपुरा (रायसेन), मंझौली (जबलपुर), रीठी (कटनी), तामिया, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील सेंवढ़ा (दतिया), चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी (टीकमगढ़), गुन्नौर (पन्ना), हनुमना, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), सिंहावल (सीधी), रतलाम (रतलाम), तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी (धार), बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज (सीहोर), रायसेन, गोहरगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन), सीहोर (जबलपुर), बहोरीबंद, बड़वारा (कटनी), मंडला, घुघरी (मंडला), चौरई, चांद (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, घन्सौर, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील लहार (भिण्ड), दतिया (दतिया), राजनगर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), रघुराजनगर, रामनगर (सतना), कुसमी (सीधी), बाजना (रतलाम), खाचरौद (उज्जैन), जोवट, उदयगढ़ (अलीराजपुर), मनावर, गंधवानी (धार), इच्छावर, बुधनी (सीहोर), सिलवानी (रायसेन), घोड़ाडोंगरी, शाहपुरा, चिचोली, मुल्ताई (बैतूल), जबलपुर, कुंडम (जबलपुर), बरही (कटनी), नारायणगंज (मंडला), कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील मिहोना-रौन (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), पन्ना, पवई (पन्ना), नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), पाली (उमरिया), मझोली, चुरहट (सीधी), अलीराजपुर, सोण्डवा, चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), डही (धार), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), भैंसदेही, बैतूल, आठनेर, आमला (बैतूल), पाटन (जबलपुर), नैनपुर,

बिछिया, निवास (मण्डला), कटनी, विजयराघवगढ़,ढीमरखेड़ा (कटनी), डिण्डोरी, बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्ना, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, घनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सीधी, मंदसौर, बड़वानी, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी में फसल राई व श्योपुर, ग्वालियर, मंदसौर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला शाजापुर, धार, हरदा में फसल सोयाबीन व झाबुआ, डिण्डोरी में मक्का व उज्जैन, आगर में खरीफ फसलों की कटाई व तुड़ाई का कार्य कहीं-कहीं चालू हैं.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, देवास, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	8.0		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	9.6		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	10.0		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	9.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	7.0				
4. मेहगांव	13.8				
5. लहार	40.1				
6. मिहोना 7. रौन	74.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	71.4		4. (1) गन्ना-अधिक. उड़द, मूंगमोठ, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	9.4		(2) . .		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	26.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	18.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	52.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	17.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	4.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	3.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	3.0				
4. चन्देरी	26.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	4.7		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	8.0				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	20.0		4. (1) धान, ज्वार, मूँगफली, सोयाबीन, बिगड़ी हुई. मक्का, तिली, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	10.0				
4. टीकमगढ़	2.0				
5. बल्देवगढ़	9.0				
6. पलेरा	7.0				
7. ओरछा	1.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	14.0		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	5.0				
4. छतरपुर	12.0				
5. राजनगर	52.9				
6. बिजावर	10.0				
7. बड़ामलहरा	3.4				
8. बकस्वाहा	5.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	4.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	82.0		(2) . .		
3. गुन्नौर	27.0				
4. पवई	55.0				
5. शाहनगर	45.0				
***जिला सागर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मक्का, धान, तिल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	52.2		4. (1) सोयाबीन, तिल, उड़द, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	13.0		(2) . .		
4. नागौद	95.0				
5. उचेहरा	67.0				
6. अमरपाटन	85.0				
7. रामनगर	42.0				
8. मैहर	87.0				
9. बिरसिंहपुर	70.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	8.6		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	17.2		चना कम. तुअर, ज्वार समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	16.0		(2) . .		
4. हनुमना	28.7				
5. हुजूर	3.0				
6. गुढ़	8.2				
7. रायपुरकर्चुलियान	18.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		मक्का, सोयाबीन, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	26.3		4. (1) मक्का, तिल, कोदों-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	59.5		मूंगफली, तुअर, बाजरा, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	23.0		अधिक.धान, ज्वार, मूंग, रामतिल कम.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	17.2		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	27.0		(2) . .		
3. मझौली	90.2				
4. कुसमी	46.0				
5. चुरहट	79.7				
6. रामपुरनैकिन	11.4				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का अधिक. धान कम. तुअर, ज्वार, कोदों उड़द, मूंग, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	4.0		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	1.0				
6. श्यामगढ़	5.0				
7. सीतामऊ	6.4				
8. धुन्धड़का	1.0				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूंगफली कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	10.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	17.0				
4. बाजना	39.4				
5. पिपलौदा	15.0				
6. रतलाम	25.0				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	35.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	6.0		(2) . .		
3. तराना	29.0				
4. घटिया	30.0				
5. उज्जैन	34.0				
6. बड़नगर	28.0				
7. नागदा	27.5				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	19.6		(2) . .		
3. शुजालपुर	28.0				
4. कालापीपल	34.0				
5. गुलाना	15.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गन्ना अधिक. कपास, तिल, मूंगफली, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, सोयाबीन कम. कपास, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	48.4		4. (1) मक्का, मूंगफली, सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	56.0		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	30.6				
4. सोण्डवा	64.0				
5. उदयगढ़	36.2				
6. च. शेखर आ. न.	56.4				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	27.4		4. (1) सोयाबीन-अधिक. कपास, गन्ना, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	25.0		(2) . .		
3. धार	20.0				
4. कुक्षी	31.3				
5. मनावर	36.0				
6. धरमपुरी	30.0				
7. गंधवानी	47.0				
8. डही	60.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
***जिला खरगौन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	82.6		4. (1) कपास, मूंगफली सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	65.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	65.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
***जिला विदिशा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	6.6		4. (1) सोयाबीन, मूंग, मक्का, तुअर, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	23.0		ज्वार, मूंगफली अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .		(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	31.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	39.0				
4. नसरुल्लागंज	24.0				
5. बुधनी	48.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	21.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	16.2		(2) . .		
3. बेगमगंज	8.2				
4. गौहरगंज	24.0				
5. बरेली	25.0				
6. सिलवानी	35.1				
7. बाड़ी	24.5				
8. उदयपुरा	13.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	117.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	45.1		(2) . .		
3. शाहपुर	47.4				
4. चिचोली	45.5				
5. बैतूल	61.2				
6. मुलताई	52.0				
7. आठनेर	68.3				
8. आमला	54.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	27.0		4. (1) धान अधिक. मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	59.6		(2) . .		
3. जबलपुर	44.2				
4. मझौली	10.4				
5. कुण्डम	45.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रवी फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	71.5		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूँग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	14.0		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	85.8				
4. बहोरीबंद	29.0				
5. ढीमरखेड़ा	79.0				
6. बडवारा	25.0				
7. बरही	48.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	71.6		4. (1) मक्का, सन तिल, धान, उड़द, तुअर कोदों-कुटकी, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	79.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	54.6				
4. मण्डला	31.8				
5. घुघरी	20.6				
6. नारायणगंज	47.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.जुताई एवं राई फसल की बोनी व मक्का की तुड़ाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	68.6		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	85.0		(2) . .		
3. शाहपुरा	76.6				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	73.4		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	100.4		(2) . .		
3. परासिया	73.2				
4. जामई (तामिया)	11.0				
5. सोंसर	113.6				
6. पांढुर्णा	56.5				
7. अमरवाड़ा	10.6				
8. चौरई	34.8				
9. बिछुआ	55.4				
10. हर्रई	64.8				
12. चांद	30.0				
11. मोहखेड़ा	57.4				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	55.4		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, सन् अधिक. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गन्ना कम. मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	24.6				
3. लखनादौन	19.5				
4. बरघाट	86.6				
5. कुरई	40.0		(2) . .		
6. घंसौर	19.0				
7. घनोरा	83.3				
8. छपारा	34.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला सागर, शहडोल, खरगौन, राजगढ़, विदिशा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(53)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.